ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/10114/2004/जयपुर श्यामलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

उपस्थितः–

श्री विक्रम सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी।

––

आदेश

दिनांकः 01–10–19

यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा रेफरेंस सं0 170/99 उनवानी सरकार बनाम नानग व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12–12–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं0 2 से 5 ने अतिरिक्त कलक्टर, कोटपूतली के समक्ष एक प्रा0 पत्र पेश कर कथन किया कि भूमि साबिक खसरा नं0 221रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, जिसके हाल खसरा नं0 550,551,678 व 674 हुए है, पर उनका 40 वर्ष से भी अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी वे उस पर काबिज है। सहबन से उक्त भूमि भ्श्रू प्रबंध में सिवायचक दर्ज हुई, जिसकी खातेदारी के लिए प्रार्थीगण ने कार्यवाही की तो भू प्रबंध अधिकारी ने खातेदारी देने से मना कर दिया। अप्रार्थी सं0 6 से 13 ने भू प्रबंध अधिकारियों से मिलकर फर्जी व धोखे से उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम करवा ली गई व कब्जा ना होने के बावजूद भी उन्होंने उक्त भूमि का पंजीकृत विक्रय पत्र रामकरण, भैरू व अन्य अप्रार्थी सं0 14 से 16 के पक्ष में तहरीर करवा दिया, जिसके आधार पर क्रेतागण के पक्ष में नामान्तरकरण दिनांक 08–01–92 को तस्दीक कर दिया गया। उक्त भूमि वास्तव में सिवायचक थी,

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/10114/2004/जयपुर श्यामलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जिसका नामान्तरकरण अवैध रूप से तस्दीक किया गया है। उक्त प्रा0 पत्र पर तहसीलदार से जाँच करवाई गई। तहसीलदार ने बाद जाँच रेफरेंस प्रा0 पत्र पेश किया। उक्त रेफरेंस प्रा0 पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। किन्तु अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, ऐसी स्थिति में अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली राजकीय पैरोकार की एकपक्षीय बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 12–12–2003 द्वारा प्रा0 पत्र को स्वीकार कर आराजी खसरा नं0 550,551 को सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिए। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह निगरानी मण्डल में प्रस्तुत की गई है। हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि अति0 जिला कलक्टर को अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस प्रक्रिया में केवल मात्र इतना ही क्षैत्राधिकार है कि यदि वे अधीनस्थ न्यायालय/अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश/निर्णय अवैधानिक होना पाया जावें तो उसे निरस्त करने हेतु प्रकरण अपनी राय अनुसार माननीय मण्डल को अनुशंषा के साथ प्रेषित करें। स्वंय के स्तर पर अवैध आदेश पारित करने का उन्हें क्षैत्राधिकार प्राप्त नहीं है। उनका यह भी तर्क था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में माना कि विवादित आराजी को गोविन्दा, बालू व अन्य ने जरिये विक्रय पत्र अवैध रूप से क्रय कर नामान्तरकरण सं0 40 द्वारा अवैध रूप से खातेदारी अपने नाम करवा ली, जो अवैध व विधि शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथमतः पूर्णतः असत्त्य एवं आधारहीन है, क्योंकि व्यक्ति विशेष द्वारा किए गए हस्तातंरणों को अवैध माने जाने के आधार पर रेफरेंस	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/10114/2004/जयपुर श्यामलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रक्रिया में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। उनका तर्क था कि रेफरेंस के प्रकरण में धारा 88 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग किया ही नहीं जा सकता वैसे भी इसका अधिकार मात्र जिला कलक्टर को ही प्रदत्त है। उनका यह भी तर्क था कि विवादित भूमि खातेदारी की भूमि है, खातेदार कृषक ने अपने खातेदारी अधिकारों का हस्तातंरण पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा किया है, ऐसा हस्तातंरण काश्तकारी अधिनियम अथवा भू राजस्व अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत अवैधानिक नहीं माना जा सकता। उनका तर्क था कि प्रार्थीगण ने विवादित भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की है। राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मौजूदा प्रार्थीगण को प्रकरण में पक्षकार ही नहीं बनाया। प्रार्थीगण को नोटिस व सुनवाई का मौका प्रदान नहीं किया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। प्रार्थीगण विवादित भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है, यदि कोई व्यक्ति विशेष भूमि विवादित में अपने अधिकार होना जाहिर करता है तो इसके लिए उसे नियमित वाद पेश करना चाहिए। निजी प्रकरणों में भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस की कार्यवाही नहीं की जा सकती व न ही धारा 88 (2) के अन्तर्गत कोई आदेश पारित किया जा सकता है। अन्त में उन्होंने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यों व कानून के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जावें। हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रश्नगत प्रकरण में तहसीलदार ने रेफरेंस प्रा0 पत्र पेश किया, जिसे अतिरिक्त कलक्टर ने राजकीय पैरोकार	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/10114/2004/जयपुर श्यामलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की एकतरफा बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 12-12-2003 द्वारा स्वीकार कर विवादित आराजी को विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिए। हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अविधिक है, क्योंकि अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय को केवल यह क्षैत्राधिकार प्राप्त है कि वे अधीनस्थ अधिकारी अथवा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अवैधानिक होना पाते है तो उसे निरस्त करने हेतु प्रकरण अपनी राय अनुसार राजस्व मण्डल को प्रेषित कर सकते है किन्तु उन्होंने अपने क्षैत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए अपने स्तर पर ही विवादित भूमि को सिवायचक अंकित करने के आदेश पारित कर दिए। उक्त विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हम इस निगरानी को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह निगरानी स्वीकार की जाकर अतिरिक्त कलक्टर, कोटपूतली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12-12-2003 निरस्त किया जाकर प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे रेफरेंस प्रकरण में संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर यदि उचित समझे तो रेफरेंस मण्डल को प्रेषित करें। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया। (शिखर अग्रवाल) सदस्य	